न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

ीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
ाद सं0 : 544 सन 2018
ुनवान :–

1. रामकुमार पुत्र मुन्शीराम जाति नायक निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. मुन्शीराम पुत्र चन्दुराम जाति नायक निवासी दुर्जाना तहसील नोहर
2. जगराम 3 शान्ति 4 कमला 5 शारदा 6 चुकीदेवी 7 गोमती 8 शकुन्तला 9 सावित्री पुत्र व पुत्रियान मुन्शीराम जाति नायक निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री मनीराम सरावग अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 03.01.2019

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा मेधाना के खसरा न0 205/4 की 2.200हैक, खसरा न0 290/4 की 1.9220हैक कुल 4.1220हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मुन्शीराम प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा चन्दुराम के नाम से दर्ज थी वादी के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता चन्दुराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है पैतक सम्पति में वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 वादी की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा चन्दुराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 जो वादी की बहने है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाई/पिता के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मनीराम

रामकुमार

के नाम से दर्ज हुई है अर्थात विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है
इसलिये पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में
वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 का बराबर का हक हिस्सा तथा वादी का कथन है कि प्रतिवादी
संख्या 3 ता 9 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्स की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी
के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि में
उसने अपने हकों का त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2
के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी
प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 ने स्वीकार करने के कारण काबिल
डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 ने अपने हकों का त्याग किया गया है इसलिये
राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प डयूटी कायम की जानी उचित है ।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद
डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा मेधाना के खसरा न0 205/4 की 2.
2000हैक , 290/4 की 1.9220हैक भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है में वादी एव
प्रतिवादी संख्या 1 ,2 तीनों बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन
करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे।
यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद
उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल
की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया
।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)